नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Bilaspur City - 11 Jul 2025 - 11nya1
epaper.navabharat.news

‘सड़कें खराब, कोर्ट न देखे तो क्या सरकार काम ही नहीं कराएगी’

तीन प्रोजेक्ट पर शपथपत्र पर शासन देगा जवाब, अगली सुनवाई 4 अगस्त को

नवभारत रिपोर्टर। बिलासपुर।

राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रदेश की सड़कों की बदहाल स्थिति पर गुरूवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रायपुर के धनेली, बिलासपुर में पेंड्रीडीह से नेहरु चौक तक सड़क आदि कार्यों की प्रगति की जानकारी मांगी। कोर्ट ने कहा कि, शहर भर में सड़कें खराब हैं, अगर कोर्ट न देखे तो क्या सरकार काम ही नहीं कराएगी, इस स्थिति को सुधारें।

बिलासपुर में सड़कें खराब दुरुस्त करने की ओर ध्यान नहीं

शासन ने सभी कार्यों पर शपथपत्र के साथ जवाब पेश करना स्वीकार किया है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की गई है। बदहाल सड़कों पर स्वतः संज्ञान और जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते

हुए कहा कि, बिलासपुर में सड़कें बहुत ही खराब हैं। इन्हें दुरुस्त करने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह सब कोर्ट का काम नहीं है, इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है, यदि हम यह सब न देखें तो क्या सरकार कोई काम नहीं कराएगी।

डीबी ने मांगा शपथपत्र

आज हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि, पेंडीडीह से नेहरू चौक तक रोड निर्माण अप्रैल में स्वीकृत हो चूका था मगर अब तक पक्रिया नहीं हो पाई है। सेंदरी बाईपास में 5 फुट ओवर ब्रिज बनाए जाने हैं इस पर डीपीआर नहीं, आ पा रहा है। रायपुर में धनेली एयरपोर्ट रोड का काम अधूरा है इन सब बातों पर डीबी ने शपथपत्र मांगा है। शहर की बदहाल सड़कों और मवेशी हादसों पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। महाधिवक्ता को बुलवाकर कहा कि यह बहुत पीड़ा जनक है, शहर भर में सड़कें खराब हैं, अगर कोर्ट न देखे तो क्या सरकार काम ही नहीं कराएगी। इस मामले में सरकार को शपथपत्र पर जवाब देना है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की गई है।

शहर का ट्रैफिक बदहाल

पूर्व में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी में सुनवाई के दौरान शहर के यातायात और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अतिक्रमण पर नाराजगी जताई थी। चीफ जस्टिस ने शहर के शनिचरी बाजार के हालात पर भी चिंता जताई और कहां कि यहां के हालात बहुत खराब हैं आम आदमी कैसे चलता है? सड़क पर गाड़ियां खड़ी रहने से जाम लगता है। सुनवाई के दौरान उप महाधिवक्ता ने बताया था कि 10 दिसंबर 2024 को बिलासपुर के ट्रैफिक डीएसपी ने पूर्व सुनवाई में दिए गए आदेश के परिपालन में यातायात के संबंध में शपथपत्र दिया। डिवीजन बेंच ने ट्रैफिक लाइट ठीक से काम नहीं करने पर नाराजगी और पेंड्रीडीह बाइपास में वाहनों के प्रदूषण पर चिंता जताई थी।